रजिस्टर्ड सं० डी(डी०)-72

Registered No. D (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No. ....
Date ....
GOVT. OF INDIA

सं० 89] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 20, 1979/चैत्र 30, 1901

No. 89] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 20, 1979/CHAITRA 30, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल, 1979

नियम

सं० ई आर बी-1/79/37/1—रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की वर्ष 1978 की प्रवर सूची में शामिल करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1979 में ली जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिये नीचे प्रकाशित किये जाते हैं।

चयन सूची में शामिल किए जाने के लिये चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये जाने वाले नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी।

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों" का अभिप्राय निम्नलिखित आदेशों में उल्लिखित अनुसूचित जातियों/जनजातियों में से किसी एक से है :—

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 संविधान (अनुसूचित जातियाँ) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 संविधान [(अनुसूचित जनजातियाँ) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 (अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ) सूचियाँ (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुर्नगठन अधिनियम 1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित] संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1956 संविधान (अंदमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1959 अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जन जातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियाँ आदेश 1962 संविधान दादरा और नगर हवेली अनुसूचित जनजातियाँ आदेश 1962 संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1964 संविधान (अनुसूचित जन जातियाँ) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 संविधान (गोआ दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश 1968, संविधान (गोआ दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1968 और संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1970।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित ढंग से ली जायगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

3. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' के ऐसे कोई अस्थाई

अधिकारी अथवा ऐसे कोई अधिकारी जिनका नाम अनुभाग अधिकारी ग्रेड की प्रवर सूची में अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' की प्रवर सूची में शामिल है और जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों और जिन्होंने रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड 'क' में अथवा दोनों में जैसी भी स्थिति हो, 31 दिसम्बर, 1978 को कम से कम 4 वर्षों की अनुमोदित अथवा लगातार सेवा पूरी कर ली है, उक्त परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे —

नोट:— (1) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' अधिकारियों के मामले में अनुमोदित सेवा में उक्त सेवा के ग्रेड 'ख' में की गई अनुमोदित सेवा की आधी सेवा शामिल होगी।

(2) सैनिक सेवा के दौरान हुई किसी भी गैर हाजिरी की अवधि को उक्त सेवाओं के उपर्युक्त पदों के लिये निर्धारित सेवा अवधि में गिना जायगा।

(3) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हैं तो इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे परन्तु शर्त यह है कि यह उस अधिकारी के लिये लागू नहीं होगा जो किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा दूसरी सेवा में स्थानान्तरण पर नियुक्त किये गये हैं और अनुभाग अधिकारी ग्रेड अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' में, जैसी भी स्थिति हो, कोई नियत नहीं रखते हैं।

4. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

5. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र न हो।

6. यदि किसी अभ्यर्थी के बारे में आयोग द्वारा यह घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया है कि वह —

(1) अपनी अभ्यर्थी के लिये किसी साधन से समर्थन प्राप्त करने का, या

(2) प्रतिरूपण का, या

(3) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण प्राप्त करने का, या

(4) गढ़े गए दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने का, जिनमें हेर-फेर किया गया है, या

(5) ऐसे कथन करने का, जो अणुद्ध या मिथ्या है या कोई तात्विक जानकारी दबाने का, या

(6) परीक्षा के लिये अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेने का, या

(7) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का उपयोग करने का, या

(8) उत्तर-पुस्तिका (ओ) में अश्लील भाषा या अश्लील बातों सहित असंगत बातें लिखने का, या

(9) परीक्षा भवन में किसी अन्य रीति से दुर्व्यवहार करने का, या

(10) परीक्षा लेने के लिये आयोग द्वारा तैनात किये गये कर्मचारियों को परेशान करने या उन्हें शारीरिक चोट पहुंचाने का, या

(11) पूर्वगामी खण्डों में विनिर्दिष्ट सभी या किसी कार्य के, यथा स्थिति, प्रयास का या उसके लिये दुष्प्रेरण का,

दोषी है, तो वह दाण्डिक अभियोजन के लिये दायी होने के अतिरिक्त—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसके लिये वह अभ्यर्थी है, अन्तर्हित किया जा सकता है, या

(ख) स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये—

(1) आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या चयन से विवर्जित किया जा सकता है,

(2) केन्द्र सरकार द्वारा, उसके अधीन किसी नियोजन से, विवर्जित किया जा सकता है, और

(ग) समुचित नियमों के अधीन, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

7. परीक्षा के परिणामों के बाद आयोग जिन उम्मीदवारों के चयन के लिये उपयुक्त समझेगा उनके नाम दो अलग-अलग सूचियों में योग्यता क्रम में रखे जायेंगे जिसमें एक सूची अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये और दूसरी सूची अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये होगी और इस क्रम में जितने भी उम्मीदवार आयोग द्वारा योग्य पाये जायेंगे उनको प्रत्येक वर्ग की चयन सूची में शामिल किये जाने के लिये अपेक्षित संख्या तक सिफारिश की जाएगी।

नोट:—उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिये सरकार पूरी तरह से सक्षम है। कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किये जाने के लिये अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

8. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षा फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

9. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में उसके आचरण की दृष्टि से चयन के लिये हर प्रकार से पात्र और उपयुक्त है :

परन्तु आयोग द्वारा चयन के लिये अनुशासित किए गये किसी उम्मीदवार को चयन के लिये अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

10. यदि कोई उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है या अन्यथा सेवा छोड़ देता है अथवा उससे संबंध विच्छेद कर लेता है अथवा जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा जिसको किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में स्थानान्तर नियुक्त कर दिया जाता है और रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' में उनका नियत नहीं है तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।

पी०एन० मोहिले

सचिव, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार ली जाएगी—

भाग-1 लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों पर दो प्रश्न पत्र, प्रत्येक 200 अंकों के होंगे।

प्रश्न-पत्र 1—कार्यालय कार्यविधि तथा कार्यप्रणाली।

प्रश्न पत्र 2—भारत के संविधान में सरकारी तंत्र, संसद कार्य प्रणाली तथा कार्यविधि का सामान्य ज्ञान।

प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिये 2-1/2 घंटे का समय दिया जायगा।

भाग 2—आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किए गए उम्मीदवारों गोपनीय रिपोर्टों तथा साक्षात्कार का मूल्यांकन 200 अंक।

2. परीक्षा का पाठ्य विवरण अनुसूची में दिए गए अनुसार होगा।

3. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र अंग्रेजी अथवा हिन्दी (देवनागरी में लिखने का विकल्प होगा। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार किए जायेंगे

नोट 1—सभी प्रश्नों के लिये एक सा विकल्प होगा तथा उसी प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रश्नों के लिये अलग-अलग विकल्प नहीं होगा।

नोट 2—प्रश्न पत्र का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के सम्बद्ध कालम में स्पष्ट रूप से करना चाहिये अन्यथा यह समझा जायगा कि वे सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे। एक बार किया गया विकल्प अन्तिम माना जायगा तथा कथित कालम में परिवर्तन करने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायगा।

नोट 3—प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार यदि वे चाहें तो तकनीकी शब्दावली, यदि कोई हो, के हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी पर्याय भी कोष्ठकों में दे सकते हैं।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर स्वयं ही लिखने होंगे। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिये किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी भागों के अर्हक अंक निर्धारित करेगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के गोपनीय रिपोर्टों के मूल्यांकन तथा साक्षात्कार में बुलाए जाने पर विचार किया जायगा जो लिखित परीक्षा में आयोग के विवेकानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

6. केवल सतही ज्ञान के लिये नम्बर नहीं दिए जाएंगे।

7. लिखित विषयों में अस्पष्ट लिखाई के लिये अधिकतम अंकों के 5 प्रश्न तक अंक काट लिये जायेंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का श्रेय दिया जायगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण

जहाँ नियमों, आदेशों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किये गए संशोधनों की जानकारी रखते हैं।

कार्यालय कार्यविधि तथा कार्यप्रणाली

यह रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में कार्यविधि तथा कार्यप्रणाली में तथा विस्तृत परीक्षा लेने के लिये है। इस सम्बन्ध में कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(1) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी इस अधिसूचना के समय प्रचलित कार्यालय पद्धति पुस्तिका।

(2) गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित "आदेशों की पुस्तिका"।

भारत के संविधान और सरकारी तंत्र, संसद कार्य प्रणाली तथा कार्यविधि का सामान्य ज्ञान।

नोट :—यह आशा की जायगी कि उन्हें निम्नलिखित ज्ञान हो :—

(1) भारत के संविधान के मुख्य सिद्धांत (2) लोक सभा तथा राज्य सभा में कार्य संचालन तथा पद्धति विषयक नियमों (3) भारत सरकार की कार्यप्रणाली का आयोजन मंत्रालयों, विभागों तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के पदनाम और उनके बीच विषयों को आवंटित करना और उनके परस्पर संबंध।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 1979

RULES

No. ERB-I/79/37/7.—The rules for a Limited Departmental Competitive Examination to be held by the Union Public Service Commission in 1979 for additions to the Select List of 1978 for Grade I of the Railway Board Secretariat Service against vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are published below for general information

The number of persons to be selected for inclusion in the Select List will be specified in the Notice issued by the Commission.

"Scheduled Castes/Tribes" mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951 ; [as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960; the Punjab Reorganisation Act, 1966; the State of Himachal Pradesh Act, 1970; the North Eastern Areas (Reorganisation Act, 1971) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976]; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956; the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976; the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order 1962; the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962; the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964; the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order 1967; the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968; the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968; and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970

2. The Examination shall be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the Appendix to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. Any permanent officer of the Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service or Grade 'A' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service or any officer whose name has been included in the Select List for the S.Os. Grade or the Select List for Grade 'A' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service and who belongs to any Scheduled Caste or Scheduled Tribe and who on 31st December, 1978 has rendered not less than 4 years' approved and continuous service in the S.Os' Grade of Railway Board Secretariat Service or in Grade 'A' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service or in both, as the case may be, shall be eligible to appear at the examination.

Note: (1) In the case of Grade 'A' Officers of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service, the approved service shall include half of the approved service rendered in Grade 'B' of that service.

(2) Any period of absence on Military duties may be allowed to be counted towards the prescribed length of service in any of the above posts.

(3) Section Officers of the Railway Board Secretariat Service and Grade 'A' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted at the examination if otherwise eligible :

Provided that it shall not apply to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien in the Section Officers' Grade or Grade 'A' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service, as the case may be.

4. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

5. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

6. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xi) attempting to commit or as the case may be abetting to commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addiiton to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate.

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them ;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

7. The names of the candidates who are considered by the Commission to be suitable for selection on the results of any examination shall be arranged in the order of merit in two separate lists, one being for candidates belonging to the SCs and the other being for candidates belonging to the STs and in that order as many candidates as are found by the Commission to be qualified, shall be recommended for inclusion in the Select List for each of the aforesaid two categories of candidates upto the required number.

Note :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each Select List on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

8. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

9. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection :

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

10. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in the Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service or Stenographer Grade 'A' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

P. N. MOHILE, Secretary, Railway Board
and ex-officio Joint Secretary
to Govt. of India

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I.—Written examination consisting of two papers in the following subjects, each carrying 200 marks :—

Paper I.—Office Procedure and Practice.

Paper II.—General Knowledge of the Constiution of India and Machinery of Government Practice and procedure in Parliament.

The papers will be of 2-1/2 hours duration each.

Part II.—Evaluation of CRs. and interview of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion—200 marks.

2. Syllabus of the examination will be as shown in the Schedule.

3. The candidates are allowed the option to answer the paper either in English or in Hindi (Devnagari). Question papers will be set in English and Hindi.

Note 1.—The option will be same for all the questions and not for different questions in the same paper.

Note 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the paper in Hindi (Devnagari) should indicate their intention to do so in the relevant Column of the application form. Otherwise it would be assumed that they would answer all papers in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

Note 3.—Candidates exercising the option to answer the paper in Hindi (Devnagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write answers for them.

5. The Commission have the discretion to fix qualifying marks in any or all the parts of the examination. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion will be considered for evaluation of C.Rs. and called for interview.

6. Marks will not be allotted for more superficial knowledge.

7. Deduction upto 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of examination.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

Where knowledge of the Rules, orders, instructions etc. is required Candidates will be expected to be conversant with Amendments issued upto the date of notification of this Examination.

OFFICE PROCEDURE AND PRACTICE

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Ministry of Railways (Railway Board). Some guidance on the subject can be obtained from—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification issued by the Ministry of Railways (Railway Board).

(ii) 'Hand Book of Orders regarding use of Hindi for official purposes of the Union' issued by the Ministry of Home Affairs.

General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government, practice and procedure in Parliament.

Note.—Knowledge of the following will be expected :—

(i) the main principles of the Constitution of India.

(ii) Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, and

(iii) the organisation of the machinery of Government of India—designation and allocation of subjects between Ministries, Departments and Attached and Subordinate Offices and their relation inter se.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979